मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

की

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समस्त सुविधाओं युक्त किफायती दरों पर दो मंजिल/बहुमंजिले भवन

"प्रथम आगत–प्रथम प्रदत्त" आधार पर प्राप्त करने हेतु

आवेदन पत्र/विवरणिका

ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ
तिथि 10.05.2025
पंजीकरण अन्तिम तिथि **31.03.2026**

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

रिक्त सम्पत्तियों का विवरण

क्र सं	योजनाका नाम	तल	रिक्त भवनों की संख्या	मानक क्षेत्रफल (व0मी0)	भवन का अनुमानित मूल्य (रू0 में)
1	अरावली एन्कलेव मझोला योजना EWS (Three Story)	FF	61B, 63B, 77B, 86B, 90B	38.46	4,17,500.00
		SF	20C, 27C, 28C, 30C, 31C, 32C, , 35C, 37C, 38C, 39C, 40C, 42C, 43C, 44C, 45C, 46C, 47C, 48C 49C, 50C, 51C, 52C, 53C, 54C, 55C, 56C, 57, 58C, 59C, 60C, 61C, 63C, 64C, 65C, 66C, 67C, 68C, 69C, 70C, 74C, 75C, 76C, 77C, 78C, 79C, 80C, 81C, 82C, 83C, 84C, 85C, 86C, 87C, 88C, 89C, 90C, 91C, 92C, 94C, 95C, 96C, 97C, 98C, 99C, 100C, 101C, 102C, 103C, 104C, 105C, 106C, 107C, 108C, 109C, 110C, 111C, 112C, 113C, 114C, 115C, 116C, 117C, 118C, 119C, 120C, 122C, 123C, 124C, 125C, 126C, 127C, 128C, 129C, 130C, 131C, 132C, 133C, 134C, 135C, 137C, 138C, 139C, 140C, 141C, 142C, 143C, 144C, 145C, 146C. 147C, 148C, 149C, 150C, 151C, 152C, 153C, 154C, 155C, 156C, 157C, 158C, 159C, 160C, 161C, 162C	38.46	4,45,400.00
2	विंध्याचल एन्कलेव देहरी मुस्तहकम LIG (Four Story)	GF	GF- 5A, ,8A,9A,12A, 13A, 14A,15A,16A,17A, 19A,20A,21A, 22A ,23A ,24A,25A,26A,27A,28A, 29A, 30A	75.44	28,36,600.00
		FF	FF-1B,2B,4B,5B,7B,8B,9B,11B,12B,13B,14B, 15B,16B,17B, 18B,19B,20B,21B,23B,24B,25B ,26B, 27B,28B, 29B, 30B	75.44	25,12,200.00
		SF	SF 1C,2C,3C,4C,5C,6C,7C,8C,9C,10C,11C,12C, 13C,14C,15C,16C,17C, 18C,19C, 20C, 21C, 22C, 23C,24C,25C,26C,27C,28C, 29C, 30C	75.44	25,12,200.00
		TF	TF 1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D, 13D,14D,15D,16D,17D, 18D, 19D,20D,21D ,22D, 23D, 24D,25D,26D,27D,28D, 29D, 30D	75.44	25,12,200.00
3	अलकनन्दा एन्कलेव ढक्का योजना LIG (Four Story)	GF	GF-01,02,03,04,17,18,19,20,33,34,35,36,49,51,52,65,66,67,68,81,82, 83,84, ,98,,99,113,114,115,116,129,130, 131,132,145, 146,147,148, 162,163,164	74.80	21,61,100.00
		FF	FF-05,06,07,08,21,22,23,24,37,38,39,40,53,54,55,56,69,70,71,72,85, 86,87, 88,101,102,103,104,117,118,119,120,133, 134,135,136, 149,150, 151, 152, 165, 166, 167,168,	74.80	19,89,100.00
		SF	SF-09,10,11,12,25,26,27,28,41,42,43,44,57,58,59,60,73,74, 75,76, 89, 90,91,92 ,105,106,107,108,121,122,123,124,137,138, 139, 140, 153,154,155,156, 169,170,171,172	74.80	19,89,100.00
		TF	TF-13,14,15,16,29,30,31,32,45,46,47,48,61,62,63,64,77,78, 79,80, 93,94, 95,96,109,110,111,112,125,126,127,128,141, 142,143,144, 157 158, 159, 160,173,174,175, 176	74.80	19,89,100.00
4	रामगंगा द्वितीय MIG (F/S)	GF	5G, 6G, 7G	87.73	27,20,000.00
		SF	1S. 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S	87.33	22,12,000.00
		TF	1T, 3T, 4T, 5T, 6T, 7T, 8T	87.33	22,12,000.00
5	रामगंगा द्वितीय EWS(D/S)	GF	137, 153	28.32	8,19,000.00
		FF	46, 148, 150, 156, 158	28.32	6,55,000.00
6	मा0 काशीराम जी नगर योजना MMIG (T/S)	FF	23B, 26B,	100.1	31,83,900.00
		SF	3C, 21C, 24C, 27C, 36C, 39C, 45C, 48C	100.1	32,69,000.00
7	काशीराम जी नगर योजना LIG (T/S)	GF	4A, 7A, 10A, 16A, 28A, 34A, 37A, 43A	36.1	16,84,800.00
		FF	2B 5B, 11B, 14B, 17B, 20B, 32B, 35B, 41B, 44B, 47B	36.1	14,97,800.00
		SF	6C, 15C, 27C, 30C, 33C, 36C, 39C, 42C, 45C, 48C	36.1	15,44,500.00
8	कबीर नगर फ्रेंडस अपार्टमेंट योजना MMIG (T/S)	SF	24, 33, 42, 66, 72, 99, 102	100.1	23,45,400.00
10	नया मुरादाबाद सैक्टर–16ए LIG (T/S)	FF	31B, 44B,	72.00	16,34,100.00
		SF	09C,45C, 75C, 81C, 84C	72.00	17,16,900.00

11	अमृत कुंज एकता विहार (दक्षिणी) LIG (F/S)	GF	1,5,9,13,17,21, 25,29, 69,73, 77,81,85,89,93, 97, 101, 105, 109,113,117,121, 125,129, 133, 145,149,153, 157, 165,169, 177,181, 185, 189, 193, 197, 201	41.80	18,11,300.00
		FF	F-2,6,10,14,18,22, 26,30,34,38,42,46,50,54,58,62,66,70,74, 78 ,82, 86,90, 94,98,102,106,110, 114,118,122,126, 130,134, 138,142, 146,150,154,158, 162,166, 170,174, 178,182, 186, 190, 194,198,202,206	41.80	16,19,700.00
		SF	S-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,55,59,63,67, 71,75,79,83,87, 91,95, 99,103,107,111,115,119,123,127,131,135,139,143,147,151, 155,159,163, 167,171,175,179,183,187,191,195,199,203,207	41.80	16,19,700.00
		TF	T-4,8,12,16,20,24,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68, 72,76 , 80,84, 88, 92,96, 100,104, 108,112,116,120, 124,128,132, 136, 140, 144, 148,152,156, 160, 164,168, 172,176,180,184, 188,192,196, 200,204,208	41.80	16,19,700.00
13	समृद्धि विहार नया मुरादाबाद सेक्टर 16बी, 120 एम. एम.आई.जी. भवन	GF	GF- 1G, 3G, 5G, 11G, 15G, 17G, 21G, 23G, 25G,35G, 37G, 39G, 41G, 43G, 45G, 47G, 51G, 53G, 57G, 67G, 71G, 73G, 89G, 93G, 95G, 99G, 109G, 113G, 117G	51.28	30,55,000.00
		FF	FF- 12F, 16F, 36F, 44F, 48F, 54F, 62F, 64F, 66F, 68F, 72F, 80F, 82F, 84F, 86F, 88F, 94F, 96F, 102F, 104F, 108F, 110F, 114F, 118F,	51.28	26,03,000.00
14	समृद्धि विहार नया मुरादाबाद सेक्टर 16बी, 36 एम.एम. आई.जी. भवन	GF	17G, 20G, 21G, 24G, 25G, 28G, 29G, 32G, 33G, 36G,	55.33	34,57,000.00
		FF	2F, 3F, 6F, 10F, 11F, 14F, 15F, 18F, 19F, 22F, 23F, 26F, 30F, 31F, 34F, 35F	52.00	29,37,000.00
15	आजाद नगर आश्रय भवन	GF	150	25.92	4,49,300.00
		FF	150A	25.92	4,11,400.00

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

नियम एवं शर्तें

1. पंजीकरण हेतु पात्रता :

1.1 आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

1.2 आवेदन पत्र जमा करनें की दिनांक पर आवेदक वयस्क होना चाहिए अर्थात आवेदन की तिथि पर उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

1.3 पंजीकरण हेतु वेबसाइट www.janhit.upda.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में आवेदन करना होगा।

2. अवस्थित अधिभार :

समय–समय पर शासन द्वारा अधिभार के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश/दिशा निर्देश लागू होंगे।

3. आवेदन कैसे करें :

3.1 वेबसाइट www.janhit.upda.in पर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में इच्छित सम्पत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करें।

3.2 सम्बन्धित सम्पत्तियों के इच्छुक आवेदनकर्ताओं को वेबसाइट www.janhit.upda.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

3.3 रजिस्ट्रेशन हेतु पंजीकरण धनराशि के रूप में सम्पत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि (सामान्य श्रेणी हेतु) व 05 प्रतिशत धनराशि (अन्य आरक्षित श्रेणियों हेतु) ऑनलाइन ही जमा करायी जानी होगी।

3.4 प्रश्नगत योजना में किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा।

4. अवशेष धनराशिः–

4.1 आंवटन धनराशि के रूप में सम्पत्ति मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि (सामान्य श्रेणी हेतु) व 25 प्रतिशत (अन्य आरक्षित श्रेणियों हेतु) आवंटन के उपरान्त एक माह के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा की जानी होगी।

4.2 अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि आंवटन की तिथि से तीन माह में जमा करने पर सम्पत्ति के बेसिक मूल्य की 03 प्रतिशत धनराशि के बराबर छूट देय होगी जो सम्पत्ति के सापेक्ष अवशेष देयकों में समायोजित की जा जायेगी।

अथवा

4.3 एल0आई0जी0 एवं एम0आई0जी0 भवनों हेतु अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि आंवटन की तिथि से 08 त्रैमासिक किस्तों में एवं ई.डब्लू.एस. भवनों हेतु अवषेष 70 प्रतिशत धनराशि आवंटन की तिथि से 60 मासिक किस्तों में ब्याज सहित देय होगी। ब्याज की दर आवंटन के समय निर्धारित (MCLR+3.5) के आधार पर निर्धारित की जायेगी। निर्धारित समय पर किस्त का भुगतान न किये जाने पर 03 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

4.4 एल.आई.जी./एम.एम.आई.जी. भवन का भौतिक कब्जा रजिस्ट्री/लीजडीड निष्पादित कराने एवं ई.डब्लू.एस. भवन का भौतिक कब्जा 30 प्रतिशत धनराशि (पंजीकरण+आवंटन) जमा कराने के उपरान्त किशत किराया अनुबन्ध कराये जाने के उपरान्त दिया जायेगा।

5. समर्पण / निरस्तीकरणः—ः—

5.1 आवंटी द्वारा लगातार 03 किश्तें जमा न करने पर अथवा अन्तिम किश्त की देय तिथि के 06 माह पश्चात तक उसकी कोई किश्त / धनराशि देय होने पर वह डिफाल्टर माना जायेगा। ऐसी स्थिति में उसका आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुए भुगतान शैड्यूल के अनुसार कुल देय धनराशि (पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त) पर 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष जमा धनराशि, यदि कोई हो तो वापिस कर दी जायेगी।

5.2 आवंटन के उपरान्त यदि आवंटी द्वारा आवंटित भवन को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो उसका आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुए भवन समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक तक भुगतान शैड्यूल के अनुसार निर्धारित कुल देय धनराशि (पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त) पर 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष जमा धनराशि, यदि कोई हो तो वापिस कर दी जायेगी।

5.3 उपरोक्त प्रस्तरों कटौती हेतु कुल देय धनराशि का तात्पर्य पंजीकरण धनराशि छोड़कर कुल जमा धनराशि एवं निरस्तीकरण / समर्पण की तिथि पर भुगतान शैड्यूल के अनुसार अवशेष देय धनराशि (किश्त, ब्याज व दण्ड ब्याज सहित) के योग से होगा।

6. अन्य नियम व शर्तेः—

6.1 किसी भी श्रेणी के भवन के कब्जें से पूर्व भूमि मूल्य का नियमानुसार लीज रेन्ट / फ्री—होल्ड शुल्क एंव नियमानुसार अन्य शुल्क जमा करना होगा तथा विलेख पत्र का निबन्धन कराना होगा। स्थल पर वास्तविक क्षेत्रफल व स्थिति के अनुसार सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है, जो आवेदक को वहन करना होगा।

6.2 आवंटन स्वीकृत / अस्वीकृत करने सम्बन्धी समस्त अधिकार उपाध्यक्ष, मु0वि0प्रा0 में निहित होंगे।

6.3 किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष मु0वि0प्रा0 का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा।

6.4 समय—समय पर शासन द्वारा सम्पत्ति निस्तारण के लिए जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा एवं आवेदक इन्हें अनिवार्य रूप से मानने हेतु बाध्य होगा ।

6.5 सभी प्रकार के देय शासकीय करों का भुगतान सम्पत्ति के मूल्य के अतिरिक्त आवंटी द्वारा वहन किया जाना होगा।

6.6 उक्त सम्पत्तियां प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त एवं यथा स्थिति के आधार पर विक्रय की जायेंगी।

6.7 सम्पत्तियों की संख्या घट—बढ सकती है। किसी भी सम्पत्ति को उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सूची से अलग किया जा सकता है।

6.8 अधिक जानकारी सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

7. आवंटन प्रकियाः—

सम्पत्तियां प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त एवं यथा स्थिति के आधार पर विक्रय हेतु आवंटित की जायेगीं। सम्बन्धित सम्पत्तियों के इच्छुक आवेदन कर्ताओं को वेबसाइट www.janhit.upda.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में सम्बन्धित सम्पत्ति के सापेक्ष वेबसाइट पर प्रथम प्राप्त आवेदन को अर्ह होने पर सम्पत्ति आवंटित की जायेगी।

8. असफल आवेदकः—

जिन आवेदको को भवन आवंटित नही हो पाता है, उनके द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि ब्याज रहित, आवेदन पत्र में दर्शाये गये बैंक के एकाउन्ट में वापस की जायेगी ।

9. **मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों को छुपानाः–**

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गई हैं अथवा उनके द्वारा किन्ही वास्तविक तथ्यो को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ–साथ भवन का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही साथ विधिसंगत कार्यवाही करने हेतु प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा।

10 परिसम्पत्ति जिस प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिए ही प्रयोग किया जायेगा। अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।

11 आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र के प्रारूप के अनुसार आवेदक को रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा जारी (नोटरी के क्रमांक के स्पष्ट उल्लेख के साथ) शपथ पत्र ऑफलाइन प्राधिरकण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

12 सफल आवेदक द्वारा पंजीकरण के साथ प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेखों को स्वहस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाना होगा। तत्पश्चात ही आवंटन किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष,

शपथ पत्र(रू0 100/– के नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

श्री/श्रीमती/कुमारी..पिता/पति का नाम श्री.. आयु.... .... व्यवसाय.................................. पूरा पता..

मैं शपथ पूर्व बयान करता हूं/करती हूं:–

1. मैंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रथम आगत–प्रथम प्रदत्त योजना (दिनांक .... से दिनांक .... के मध्य संचालित) के अन्तर्गत ....हेतु

(सम्पत्ति का विवरण)

पंजीकरण प्रार्थना पत्र संख्या.. दिनांक........................ को प्रस्तुत किया गया व पंजीकरण धनराशि रू0.. ऑनलाइन दिनांक..को जमा करायी है जिससे तारतम्य मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

2. मैं बालिग हूं तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
3. मैं प्रार्थना पत्र केवल अपने लिए ही दे रहा/रहीं हूं और इसमें किसी प्रकार का बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।
4. मैंने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ दी गयी पुस्तिका में उल्लिखत नियमों/शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं, परिभाषाओं को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता/देती हूं।
5. आवंटित भवन के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से देरी होती है, तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ति का मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
6. मुझे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भवन देने की सभी शर्तों व नियम मान्य है।
7. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि जब तक भवन की समस्त किस्तों एवं करों का पूर्ण रूप से भुगतान न कर दूं मुझे भवन या भूमि बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा और न ही भवन रिहायशी उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाउंगा/लाउंगी।
8. यदि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटन उपरान्त आवेदित भवन कब्जा मैं न लूं अथवा निर्धारित समय के अन्तर्गत मांगा गया रूपया न जमा करूंगा अथवा भवन की रजिस्ट्री न कराऊं तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्तं अथवा नियम का उल्लंघन करूं तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त करने तथा भवन का आवंटन रद्द करने तथा भवन पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।
9. ऊपर मैने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण सत्य है और उपरोक्त शपथ–पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के सक्षम अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त कर लें और मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें, करें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

घोषणः– मैं एतद्द्वारा बयान करता/करती हूं कि मेरे द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 01 से 10 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

एक सुन्दर शहर–हमारा संकल्प

हम जानते हैं कि आप पर्यावरण के हितैषी हैं

जल अमूल्य है, जल संरक्षण में अपना योगदान दें

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

सेक्टर–13 नया मुरादाबाद, दिल्ली रोड़, मुरादाबाद।

website :- mdamoradabad.up.gov.in

email :- mrdda@nic.in